



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी साँगोद जिला कोटा।
वइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि० नं० 65 / 2019 दावा / वउनवान / कन्हैयालाल वगैरा / कस्तूरीबाई वगैरा

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति माली निवासी साँगोद तहसील साँगोद जिला कोटा,
2. नन्दलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी साँगोद तहसील साँगोद जिला कोटा,
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी साँगोद तहसील साँगोद जिला कोटा,
4. विष्णु पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी साँगोद तहसील साँगोद जिला कोटा।

—वादीगण—

—बनाम—

1. कस्तूरीबाई पत्नी श्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम साँगोद,
2. देवकी उर्फ देव पुत्री श्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम साँगोद,
3. गणपति उर्फ मगणपति पुत्री श्री धन्ना जाति माली निवासी ग्राम साँगोद,
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साँगोद तहसील साँगोद जिला कोटा,


—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

दिनांक :- २०/१२/२०२२


वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 1991/2546 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1993 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1994 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1995 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1998 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर 1999 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 2000 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 2001 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2005 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2008 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 2022 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नंबर 2052 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 2179 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 2183 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नंबर 2313 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 2314 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 2328 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 2331/2556 रकबा 0.11 हैक्टर कुल कित्ता 18 की कुल 4.10 हैक्टर आराजी माल ग्राम साँगोद तहसील साँगोद जिला कोटा में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के विहित स्वयं


उपखण्ड मांजस्टेट
साँगोद (कोटा)

का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी कं. 1, 2, 3 द्वारा वादीगण के पक्ष में हकत्याग कर मौके पर कब्जा वादीगण को सम्भला दिया था जिसकी पुष्टि हेतु रिलीजडीड तहशीर करके कार्यालय उप-पंजीयक सांगोद से क्रमांक 2014001395 दिनांक 14.11.2014 पर पंजीबद्ध करवा दी थी किन्तु राजस्व रिकार्ड में रिलीजकर्ता केसरबाई का नाम अंकित नहीं होने व खसरा नंबर 2000 की जमाबंदी में प्रतिवादी गणपति का नाम कम्प्यूटर त्रुटि से 'मगणपति' गलत अंकित हो जाने से पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिलीजडीड के आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया जिसके संबंध में वादीगण द्वारा गत सप्ताह तहसीलदार साहब से निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर आदेश लाने को कहा। वादकारण गत सप्ताह तहसीलदार साहब द्वारा रजिस्टर्ड रिलीजडीड के आधार पर माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने की कहने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी राज्य सरकार होने से प्रतिवादी की हैसियत से राज्य सरकार को तहसीलदार साहब के जरिये वाद में पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम सांगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम दर्ज आराजी हिस्सा का वादी कं. 2, 3, 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी कं. 3 के नाम अंकित हिस्सा आराजी के 1/2भाग का वादी कं. 1 को एवं शेष 1/2भाग का वादी कं. 2,3,4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।


वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया। जवाब सरकार पेश हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध रिलीजडीड एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूँ।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1991/2546 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1993 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1994 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1995 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1998 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर 1999 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 2000 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 2001 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2005 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2008 रकबा 0.23


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

हैक्टर, खसरा नंबर 2022 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नंबर 2052 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 2179 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 2183 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नंबर 2313 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 2314 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर 2328 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 2331/2556 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 18 की कुल 4.10 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम दर्ज आराजी हिस्सा का वादी कं. 2, 3, 4 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी कं. 3 के नाम अंकित हिस्सा आराजी के 1/2भाग का वादी कं. 1 को प शेष 1/2भाग का वादी कं. 2, 3, 4 को खातेदार काशतकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड (अतिरिक्त)
सांगोद (सांगोद) अधिकारी
सांगोद

अन्तिम डिक्ली मुकदमा प्रस्तावार्थ
(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाप्ता धीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बड़जलारा - राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि० नं० 65/2019 दावा/बउनयान/कन्हैयालाल यगौरा/करतूरीबाई यगौरा

1. कन्हैयालाल पुत्र श्री धन्नालाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
2. नन्दलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,
4. विष्णु पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—वादीगण—

—बनाम—

1. करतूरीबाई पत्नी श्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद,
2. देवकी उर्फ देव पुत्री श्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद,
3. गणपति उर्फ मगणपति पुत्री श्री धन्ना जाति माली निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद,
4. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा,


—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 आर० टी० एक्ट,

मि.नं. 65/2019

तारीख फंसला दिनांक यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्ली दी जाती है कि ... दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 1991/2546 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नंबर 1993 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1994 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नंबर 1995 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 1998 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नंबर 1999 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 2000 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 2001 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2005 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नंबर 2008 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नंबर 2022 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नंबर 2052 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नंबर 2179 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नंबर 2183 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नंबर 2313 रकबा 0.57 हैक्टर, खसरा नंबर 2314 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नंबर


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

2328 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नंबर 2331/2556 रकबा 0.11 हैक्टर कुल किता 18 की कुल 4.10 हैक्टर आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1, 2 के नाम दर्ज आराजी हिस्सा का वादी कं. 2, 3, 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी कं. 3 के नाम अंकित हिस्सा आराजी के 1/2भाग का वादी कं. 1 को प शेष 1/2भाग का वादी कं. 2, 3, 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज _____ मुबलिंग _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह _____ फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक _____ का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख _____ को जारी की गई।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

| मुदई | रुपया | पैसे | मुददायलह | रुपया | पैसे |
|---------------------|-------|------|---------------------|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | बाबत इजराय हुकमनामा | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)